Title: Regarding the new direction of the Ministry of Rural Development over the construction of bridges in Jharkhand Area.

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड क्षेत्र से आता हूं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वहां जो निर्देश गया है कि पहले सुनिश्चित रोजगार योजना से और जवाहर रोजगार योजना से पुल-पुलिया निर्माण का काम होता था, इसे जिला योजना में पारित करेंगे मगर अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जो निर्देश गया है और वहां गांव में जो लम्बी दूरी की सड़क बनती थी, उस पर रोक लग गई है और यह लिखा गया है कि बड़ी पुलिया का निर्माण नहीं होगा। उसमें यह नहीं बताया गया कि बड़े पुल कौन से होंगे पांच लाख वाले होंगे या बीस लाख या पचास लाख वाले होंगे। पहले जो निर्देश था, उससे काफी अच्छा काम हो रहा था। पच्चीस लाख तक के काम की कलैक्टर को स्वीकृति देने का अधिकार था और पचास लाख तक के काम की स्वीकृति कमिश्नर देता था जिसे अब लुप्त कर दिया गया है और उस क्षेत्र का विकास तभी होगा जब सड़कें बनेंगी और पुल बनेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो निर्देश था, उसी के आधार पर तुरंत निर्देश दिया जाये ताकि वहां विकास का काम हो सके।